

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंज़ील, एम. आय. डी. सी. नं. 16, वागले इस्टेट, थाने - 400 604.

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Vardan Commercial Complex, 6th Floor, M. I. D. C. Road, No. 16, Wagle Estate, Thane - 400 604.

सं. महा/थाने/No. MH/THN/ 204852/Cir-II/358

दिनांक / Date : 25/5/2012

सेवा में, To, M/s Globe Security Services Pvt. Ltd
GB-2, Karma Stambh Complex,
Opp MNL Office, LBS Marg,
Vikhroli (W), Mumbai - 400083

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आबंटन

Sub : Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code number.

महोदय/ Sir,

- मेसर्स _____ उद्योग/स्थापना अपनी सभी शाखाओं एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन निर्मित योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक _____ से लायी जाती है।
The factory / establishment M/s. Globe Security Services Pvt. Ltd with all its branches and departments are brought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 01/04/2012
इसे कोड संख्या महा/थाने/ _____ आबंटित किया गया है। इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह संख्या उद्धृत की जाए।
A code No. M.H/THN/ 204852 has been allotted to it. This number may be quoted in all future correspondence with this office.
- इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार -
As per information available with this office -
(A) आपका उद्योग _____ में आबंध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों में से एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है।
Your factory is engaged in _____ which is one of the industries specified in Schedule I of the Act to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a)
(B) आपकी स्थापना _____ के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा (1) 3 (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी है।
Yours is an establishment classified as Expert Services to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.
- आपके आवेदन संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आबंटित की जाती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लम्बित मामला है।
This code number is allotted with reference to your application No. _____ dated _____ for extension of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1(4) the Act, on voluntary basis. This is pending issue of a notification by the Government of India under Sub-Section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.